राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस..

मुकदमा नंबर – 125/2017

जीसीएमएस वाद संख्या : 2017/00258

लाखाराम पुत्र चुनाराम जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0।

........वादी

ब–ना–म

1. रामचन्द्र
2. बृजलाल पुत्रान कन्हीराम जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज **(फौत)**

   2/1 सावत्री पत्नी बृजलाल

   2/2 ओमप्रकाश पुत्र बृजलाल जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना।

   2/3 प्रमेश्वरी पुत्री बृजलाल पत्नी बाबुलाल निवासी अमरसर हाल आबाद झुक तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0

   2/4 लीला बाई पुत्री बृजलाल पत्नी कप्तान सिंह जाति अहीर निवासी अमरसर हाल आबाद झुक तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0

   2/5 सुमन पुत्री बृजलाल पत्नी राजपाल निवासी अमरसर हाल आबाद गुआना तहसील बहरोड़ जिला अलवर, राज0

   2/6 नीश पुत्री बृजलाल पत्नी पप्पु निवासी गुआना तह0 बहरोड़ जिला अलवर, राज0

   2/7 घोटन उर्फ सुनिता पुत्री बृजलाल पत्नी संगम निवासी सागा हाल आबाद गोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र भोलाराम जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
4. फुलसिंह
5. रामनिवास
6. रोहतास
7. ओमप्रकाश
8. हरिसिंह पुत्रान गोकल जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
9. सरिया पत्नी गोकल जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
10. कंवर सिंह दत्तक पुत्र श्रवण देवी पत्नी श्योनारायण जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
11. श्रवण देवी पत्नी श्योनारायण **(फौत)**
12. मेदा पुत्र हरनारायण जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
13. दलीप पुत्र मेदा
14. तारचन्द
15. श्रीचन्द पुत्रान भूराराम
16. रेवती पत्नी भूराराम
17. जगदीश पुत्र रामेश्वर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

18. पवन
19. सत्यपाल पुत्रान जगदीश
20. यादराम पुत्र रामेश्वर जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
21. रामकुमार दत्तक पुत्र पोपाराम **फौत** जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
22. सत्यवीर पुत्र घीसाराम
23. रूकमा पुत्री पोपाराम
24. भूपसिंह पुत्र रामकुमार
25. गिन्दो देवी पत्नी रामेश्वर जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
26. महावीर प्रसाद
27. रामप्रसाद पुत्रान रामेश्वर जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
28. राजबाला पत्नी सुभाष
29. ममता पुत्री सुभाष जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
30. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
31. राजस्थान क्षेत्री ग्रामीण बैंक बड़बर जरिये शाखा प्रबंधक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

............प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी ... सत्यमेव जयते ... (राज.)

दावा— पत्थरगढ़ी व स्थाई निषेधाज्ञा

::निर्णय::

दिनांक :—16/9/22

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम अमरसर तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के खाता सं. 58 के ख.नं. 53/4 रकबा 1.31 है., ख.नं. 142/3 रकबा 0.68 है., ख.नं. 143/4 रकबा 0.11 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.11 है. में वादी एकांकी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख.नं. 53 के उत्तर दिशा में ख.नं. 143/2, 144 स्थित है जो कि वादी का स्वयं का है ख.नं. 53 के पश्चिम दिशा में ख.नं. 54 स्थित है खसरा नंबर 53 के उत्तर दिशा में ख.नं. 143/1 स्थित है ख.नं. 53 के पूर्व दिशा में ख.नं. 51 व 52 स्थित है ख.नं. 142 के उत्तर में ख.नं. 141 स्थित है ख.नं. 142 के दक्षिण में ख.नं. 143/1 स्थित है ख.नं. 142 के पूर्व में ख.नं. 150, 143 स्थित है। ख.नं. 142 के पश्चिम दिशा में [illegible] स्थित है। वादी ने दिनांक 06.07. 2016 को अपनी भूमि ख.नं. 53, 142/3, 143/4 सीमाज्ञान करवाया भी जिसके अनुसार वादी ने प्रतिवादीगण से अपनी भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने पत्थरगढ़ी करवाने से मना कर दिया कहा कि हम पत्थरगढ़ी नहीं करवायेंगे। इसलिए वादी को अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। वादी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:37 IST
Reason: Self Attested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादीगण का दिनांक 05.07.1990 को न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी के यहां से खाता विभाजन हो चुका है जिसमें वादी ख.नं. 53 रकबा 1.31 है., ख.नं. 142 रकबा 0.68 है., ख.नं. 143/1 रकबा 0.68 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.10 है. व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को ख.नं. 53 रकबा 0.04 है., ख.नं. 142 रकबा 0.39 है., ख.नं. 143/1 रकबा 0.08 है., ख.नं. 145 रकबा 0.80 है. कुल किता 4 कुलरकबा 2.11 है. दिया गया जिसका नक्शा तरमीम नहीं होने से नक्शा ट्रेस में विभाजन के खसरा नंबर नहीं हो सके। प्रतिवादी सं. 1 व 2 रामचन्द्र पुत्र कन्हीराम वादवर्णित भूमि के ख.नं. 53 के पूर्व दिशा में व पश्चिम सीमा पर जबरन लठ के जोर पर निर्माण कार्य करने के लिए आमादा है व मना करने पर धमकी देते हैं कि तुम्हे जो करना है करलो हम तो निर्माण कार्य करेंगे। इसलिए वादी को यह दावा पत्थरगढ़ी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि :–

(क) वाके ग्राम अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित भूमि ख.नं. 53/4 रकबा 1.31 है. ख.नं. 142/3 में रकबा 0.68 है., ख.नं. 143/4 रकबा 0.68 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.10 है. की पत्थरगढ़ी की जाकर पुख्ता चिन्ह किया जावे।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वाके ग्राम अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं स्थित भूमि ख.नं. 53/4 रकबा 1.31 है., ख.नं. 142/3 में रकबा 0.68 है., ख.नं. 143/4 रकबा 0.68 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.10 है. के किसी भी भाग पर कोई किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण आदि ना करें ना स्वयं करें ना ही अपने परिचितों व मित्रों आदि से करावें।

वाद पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित वाद वर्णित भूमि के मौके हाल रिपोर्ट दोनों पक्षों की उपस्थिति में मंगवाई जाकर सुनवाई की जावे जिससे न्याय निर्णय में आसानी हो सके।

प्रतिवादीगण सं. 2 से 32 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 खाता सं. 58, खाता सं. 44, खाता सं. 5, खाता सं. 43, खाता सं. 26, खाता सं. 67, खाता सं. 20 ग्राम अमरसर, नकल फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 06.07.2016, नकल नक्शा किश्तवार सन् 1977–78 पेश किये।

बहस योग्य विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम अमरसर की जमाबंदी संवत् 2072–2075 खाता सं. 58 खसरा नंबर 53/4, 142/3, 143/4 वादी की एकांकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 06–07–2[illegible]वादग्रस्त भूमि का करवाया गया मौका सीमाज्ञान के अवलोकन से स्पष्ट है कि [illegible] का सीमाज्ञान विधिवत् रूप से करवाया है। अधिवक्ता वादी ने बहस में कथन किया कि विवादित का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06.07.2016 के अनुसार पुनः सीमाज्ञान [illegible] पत्थरगढ़ी करने का तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जावे। अतः सीमाज्ञान दिनांक 06–07–2016 के अनुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी किया जाना विधिसम्मत पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आदेश

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाद वादी स्वीकार कर तहसीलदार, बुहाना को 1000 रूपये पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम अमरसर स्थित भूमि हाल खाता संख्या 58 के हाल खसरा नंबर 53/4, 142/3, 143/4 का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06–07–2016 के अनुसार पुनः सीमाज्ञान के सम्यक् समाधान उपरान्त वादी के खर्चे पर सीमाचिन्ह, पत्थरगढी कायम कराए जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना पालना कर रिपोर्ट पेश करे। (2) प्रतिवादी सं. 1 व 2 को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि वादग्रस्त में वादी के कब्जेकास्त ,उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप मे, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे, वादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग पर पेड नही काटे, किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण आदि ना करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 16/9/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले कोर्ट मे सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी जिला झुन्झुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:37 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:– 125/2017 **जीसीएमएस वाद संख्या : 2017/00258**

निर्णय दिनांकः– 16/9/22

लाखाराम **बनाम** रामचन्द्र आदि

<u>दावा– पत्थरगढ़ी व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

वादी की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या10 की ओर से श्री विजयपाल एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 की ओर श्री अशोक यादव एडवोकेट की उपस्थित में तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16/9/22को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंमित निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिकी दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाद वादी स्वीकार कर तहसीलदार, बुहाना को 1000 रूपये पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम अमरसर स्थित भूमि हाल खाता संख्या 58 के हाल खसरा नंबर 53/4, 142/3, 143/4 का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06–07–2016 के अनुसार पुनः सीमाज्ञान के सम्यक् समाधान उपरान्त वादी के खर्चे पर सीमाचिन्ह, पत्थरगढी कायम कराए जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना पालना कर रिपोर्ट पेश करे। (2) प्रतिवादी सं. 1 व 2 को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि वादग्रस्त में वादी के कब्जेकास्त ,उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे, वादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग पर पेड नही काटे, किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण आदि ना करें। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16/9/22........को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी ... जिला झुन्झुनू (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:23:37 IST
Reason: SelfAttested